VISION IAS
M N 22 AUG 2024 No. 3
RECEIVED

VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2364)

Name of Candidate	Karmveer Narwadia		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	704560
Center	Mukhrgee Nagar	Date	16 Aug 2024

time taken – 2:58h/minutes.

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH.**
   इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?	
Recommended	Strongly Recommended

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

उत्तर पुस्तिका पढ़कर आपको कैसा लगा?

(1) अच्छा (3) सर्वोत्कृष्ट

(2) बुरा (4) कुछ नहीं समझा

कोई personal suggestion=?

3.

4.

5.

6.

All the Best

For one-to-one mentoring session on this copy, call us at 7042691891 or send an email to appointment@visionias.in

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q1. धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करने के अपने अधिदेश को पूरा करने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सामना की जाने वाली आलोचनाओं पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the criticisms faced by the Enforcement Directorate (ED) in fulfilling its mandate of investigating offences of money laundering and violations of foreign exchange laws. (Answer in 150 words) 10

प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली संस्था है जो आर्थिक अपराध को नियन्त्रण करने पर कार्य करती है।

वित्त अपराध से संबंधित ED की शक्तियों का स्रोत

- Prevention of money Laundering Act 2002
- FEMA Act
- COFEPOSA
- FEOA [आर्थिक भगोड़ा अपराध अधिनियम]

ED द्वारा अधिदेश पूरा करने मे कई आलोचना का सामना करना पड़ता है-

(1) दोष सिद्धि दर की कमी

दोष सिद्धि की दर .5% से भी कम है जिससे इसका दुरुपयोग बढ़ जाता है।

(II) ED का राजनीतिकरण

अक्सर सत्ता रूढ़ पार्टी द्वारा विपक्ष के सदस्यों के लिए ED का प्रयोग किया जाता है।

(III) ECIR मे पारदर्शिता न होना।
(FIR के समान)

(IV) धन शोधन को सामान्य अपराधी के साथ जोड़ देने से न्यायिक बोझ।

(V) अवसंरचना तथा स्टाफ की कमी।

(V) नियुक्ति में देरी।

(VI) ED का व्यापक दुरुपयोग किया जाता है

समाधान

→ (1) ED के विवेकाधिकार को पारदर्शिता के साथ जोड़ा जाए।

→ (2) स्टाफ तथा अवसंरचनागत सुविधाएँ प्रदान की जाए।

→ (3) जवाबदेहिता बढ़ायी जाए।

प्रवर्तन निदेशालय को सशक्त करना डर्टी मनी, आर्थिक अपराध इत्यादि को नियंत्रित कर सकते है जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q2. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (DRSCs), जिन्हें 'मिनी पार्लियामेंट' भी कहा जाता है, अपने कार्यों को करने में प्रभावी क्यों नहीं रही हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Why are the Departmentally Related Standing Committees (DRSCs), also known as 'Mini Parliament', not effective in carrying out their functions? (Answer in 150 words) 10

भारत मे 24 विभागों से संबद्ध स्थायी समीतियाँ मंत्रालयों के तहत कार्य कर रही है। इन DRC को मिनी पॉर्लियामेंट कहा जाता है।

DRC : मिनी पार्लियामेंट

(i) लोकसभा तथा राज्यसभा दोनो के सदस्य DRC के सदस्य होते है। अतः द्विसदनीय व्यवस्था संसद की तरह दिखती है।

(ii) मंत्रालयों द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक की जाँच की जाती है।

(iii) धन आवंटन तथा धन का सही प्रयोग सुनिश्चित करती है।

(iv) पक्ष - विपक्ष दोनो के सदस्य DRC में शामिल होते है।

(v) कार्यपालिका की जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

(VI) भ्रष्टाचार, शासन में विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग पर सरकार की बाध्यता निर्धारित की जाती है।

(VII) दिए गए सुझावों पर विपक्ष द्वारा संसद में प्रश्न उठाए जा सकते हैं।

DRC: प्रभावी क्यों नहीं

(I) विधेयक को DRC के पास न तो भेजा जाता है, वहीं कई विधेयक तो उसी दिन पारित कर दिए जाते हैं।

(II) DRC पोस्टमार्टम की तरह कार्य करती है।

(III) सरकार के सामान्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

(IV) यह सिर्फ जवाबदेही बना सकती है, इसकी सरकार के प्रति बाध्यता नहीं है।

सुधार → DRC को सशक्त अवसंरचना प्रदान करनी चाहिए।

संसद में इसकी गतिविधियों को प्रति जवाबदेहिता बनानी चाहिए।

DRC एक तरह से कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q3. भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What are the similarities and differences with regard to the separation of powers in India, USA, and UK? (Answer in 150 words) 10

शक्ति के पृथक्करण मे सरकार के तीनो अंगो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों को परिभाषित करना तथा check & balance नीति को अपनाने से है।

भारत, अमेरिका, ब्रिटेन मे शक्ति पृथक्करण समानता

(1) तीनों ~~विधायी~~ अंग एक दूसरे पर

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q4. यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों ने राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है, तथापि राज्य सरकारें स्वयं ही अपने समक्ष आने वाली वित्तीय चुनौतियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Though measures adopted by the Central government have impacted state finances, the state governments themselves are mainly responsible for the financial challenges they face. Discuss. (Answer in 150 words) 10

कई राज्यो द्वारा केन्द्र सरकार के राजकोषीय अनुशासन के विरुद्ध कार्य करने पर विरोध दर्ज किया है ~~सख्त~~। इस राज्यों की खराब स्थिति के लिए राज्य स्वयं व केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय प्रभावित करते है।

केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय	राज्यों की खराब स्थिति

(i) वेतन आयोग लागू करने से राज्यों पर बोझ बढ़ता है।

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा G.S.T & cess and Surcharge से संबंधित समस्याएँ आई है।

Eg G.S.T Compensation Scheme | total Revenue का 2019 में cess & surcharge का 5%, 2022 में 10%

(iii) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यो की उधारी के लिए सीमा निर्धारित कर देना। (GSDP का 5%)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iv) विवेकाधीन अनुदानों में कमी।

(v) District mineral fund जैसे फण्डों के आवंटन मे देरी करना।

(vi) कई अनुदान को tied कर देना जिससे क्षेत्रीय मुद्दे का समाधान नहीं।

हालांकि राज्य स्वयं भी जिम्मेदार है-

(1) राज्य द्वारा non merit subsidy प्रदान की जाती है।

Ep - TN सरकार द्वारा T.V. & laptop बॉटना।

(2) बिजली बिल माफ इत्यादि अयोग्य नीतियो को लागू करना।

(3) old pension Scheme को लागू करना।

Ep - Raj, Chhatisgarh etc.

(4) राज्यों द्वारा अत्यधिक उधारियाँ ले ली जाती है जो कर्ज के साथ बोझ बढ़ाता है।

कुछ सुधार

- ← Cess & Surcharge तथा विवेकाधीन अनुदान कुछ समय के लिए दिया जा सकता है।
- → वित्त आयोग की बाध्यताओं को निर्धारित किया जाए।
- ↓ Central Sector Scheme / C. Sponsored scheme को निर्धारित किया जाए।

राज्य की वित्तीय स्थिति उधार करने से, राज्यो के सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्य पूर्ण होंगे।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q5. हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार जीवन और समानता के अधिकार से संबद्ध है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संवैधानीकरण में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The Supreme Court of India recently recognised that the right against the adverse impacts of climate change is intertwined with the right to life and equality. Discuss the role played by the judiciary in constitutionalization of environmental issues. (Answer in 150 words) 10

रंगराजीत सिंह वाद (2024) में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार Art 19 तथा 21 जीवन और समानता के अधिकार से सम्बद्ध है।

समय-समय पर न्यायपालिका ने पर्यावरणीय न्यायशास्त्र लागू किया है।

① M.C. Mehta वाद में स्वच्छ पर्यावरण में का अधिकार Art 21 के तहत मूल अधिकार माना गया है।

② भोपाल गैस त्रासदी केस में पर्यावरण से संबंधित आपदा पर उचित मुआवजा तथा pollutor pay principle जैसे मुद्दों पर न्यायपालिका द्वारा भूमिका निभाई है।

③ न्यायपालिका ने गंगा जैसी नदियों को विधिक इकाई मानकर कार्यवाही की है।

(iv) न्यायपालिका ने कृष्ण गोपाल केस मे प्रदूषण करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया।

(v) M.C. मेहता वाद मे S.C. ने ही B.S. IV से BS VI पर सीधा आने के लिए Recommendation दिया।

(vi) गंगा नदी मे प्रदूषण मिटाने के लिए M.C. मेहता vs वाद मे Untreated chemical प्रयोग को प्रतिबंध किया गया।

(vii) ध्वनि प्रदूषण से संबधित मामलों पर न्यायपालिका ने समय-समय इसे मूलाधिकार माना है।

(viii) S.C. ने E-waste के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश देने के लिए कार्यपालिका तथा विधायिका को जवाबदेह ठहराया है।

सुप्रीम कोर्ट ज्वलंत तथा प्रगतिशील है, विभिन्न अवसरों पर पर्यावरणीय न्यायशास्त्र उपलब्ध कराकर इसने संधारणीय पद्धतियों को आगे बढ़ाया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q6. स्वयं सहायता समूहों (SHG) के संघ भारत में SHGs को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार के रूप में उभरे हैं। विवेचना कीजिए। इनके कामकाज को कौन-सी कमियां बाधित करती हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

SHG federations have emerged as an important institutional innovation to sustain SHGs in India. Discuss. What inadequacies hamper their functioning? (Answer in 150 words) 10

सामान्तया: स्वयं सहायता समूह (SHG) एक ही सामाजिक- आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का अनौपचारिक समूह होता है जो एक-दूसरे से सहयोग के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। भारत मे SHG federation के रुप में उपलब्ध है।

SHG संघ : महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार

(i) SHG संघ द्वारा लैंगिक न्याय को उपलब्ध करवाया है।

Eg - A.P. मे महिला सखी, सखी न्याय।

(ii) वित्तीय सहायता तथा वित्त में मदद को पहुँचाया है।

(iii) तकनीकी स्तर पर समाधान किया है, जिसमें मशीनीकरण को बढ़ाया है।

(iv) लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है।

Eg - A.P. का तेलगु Raj की आजीविका।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(v) समर्थन तथा सहयोग काफी ज्यादा व्यापक होता है।

Eg MP. की महिला बुनकर व्यवस्था।

(vi) अवसंरचना तथा मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराते है।

इनके कामकाज में बाधाएँ

(i) वित्त की पहुँच -
सभी SHG संघो की लगभग वित्तीय स्थिति काफी कमजोर है।

(ii) SHG संघ ज्यादातर शहरों मे ही केंद्रित है।

(iii) सरकारी तंत्र के साथ मिली-भगत होती है।

(iv) संघ मे जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता मे कमी होती है।

(v) अवसंरचना के लिए वित्त तथा कुशल स्टाफ की कमी होती है।

SHG को वित्तीय पहुँच के लिए बैंको द्वारा कदम उठाना चाहिए।

SHG संघ मे सुधार → जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता बढ़नी चाहिए

→ C. रंगराजन समीति के सुधारों को निर्दिष्ट किया जाए।

SHG सरकार के पूरक के रूप मे सामाजिक-आर्थिक विकास मे योगदान करते है। SHG संघ मे सुधार करना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q7. बार-बार स्थानांतरण भारत में उच्चतर सिविल सेवा की एक गंभीर समस्या है। सिविल सेवकों के बार-बार स्थानांतरण से जुड़े दोषों पर चर्चा कीजिए और इस समस्या के समाधान के लिए सुधारों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Frequent transfers are a pervasive problem among the higher civil service in India. Discuss the drawbacks associated with frequent transfers of civil servants and suggest reforms to overcome this issue. (Answer in 150 words) 10

सिविल सेवा को भारत का स्टील फ्रेम कहा जाता है जो नीति निर्माण से लेकर योजना क्रियान्वन तथा मोनिटरिंग का कार्य करती है।

उच्चतर सिविल सेवा मे बार-बार स्थानांतरण की एक गंभीर समस्या है+ जिसके परिणामत:

(i) औसतन सिविल सेवक का एक जगह कार्यकाल 15 महीने के लगभग होता है जो कि अत्यधिक कम है।

(ii) शासन मे सिविल सेवक की जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता नहीं हो पाती है।

(iii) होता समीति ने बार-बार स्थानांतरण को भ्रष्टाचार तथा कुशासन से जोड़ा था
Ex - अशोक खेमका)

(iv) स्थानांतरण की शक्तियों के कारण अस्थायी कार्यपालिका का राजनीतिकरण हो

जाता है।

(v) सिविल सेवक एक जगह रहकर एक समस्या का समाधान नहीं कर पाते है।

(vi) सिविल सेवकों में उत्पीड़न तथा मनोवैज्ञानिक दबाव का खतरा बना रहता है।

इस समस्या का समाधान

(i) कई समीतियों द्वारा 2nd ARC ने भी कुछ मिनीमम एक जगह सिविल सेवक के लिए निर्धारित करने पर निर्देश दिए है।

(ii) स्थानांतरण के मुद्दों के लिए civil Service Board का गठन किया जाना चाहिए।

(iii) स्थानांतरण को उत्पीड़न के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए।

(iv) सिविल सेवकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता को निर्धारित किया जाना चाहिए।

(v) स्थानांतरण से पहले ACR रिपोर्ट में आधार बताया जा सकता है।

सिविल सेवा जनता में सहभागिता, लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा देती है। अतः इसे बिना दबाव के कार्य किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q8. प्रमुख खाद्य उत्पादक होने और व्यापक पोषण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद, भारत कुपोषण के संकट से क्यों जूझ रहा है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Despite being a major food producer and implementing extensive nutrition programmes, why does India continue to struggle with the malnutrition crisis? (Answer in 150 words) 10

भारत लगभग 330 मिलियन टन खाद्य उत्पादन करता है। साथ मे दुग्ध, चावल, दालों मे प्रथम स्थान तो गेहूँ, सब्जी, फलो (केला) मे द्वितीय स्थान रखता है वही अनेक पोषण कार्यक्रम (NFSA 2013) के बावजूद कुपोषण की समस्या बनी हुई है। [Global Hunger Index - 111 Rank].

कुपोषण का कारण

(I) खाद्य में सूक्ष्म पोषक तत्वों कमी एक प्रमुख कारण है। वस्तुत: खनिजों से पूर्ण विविध आहार का अभाव है।

(II) अनेक पोषण कार्यक्रमों मे Inclusion तथा exclusion error है।

Ex - लगभग 80cr को food, उसमें भी कई बचे हुए है।

(III) food diety habit का पाश्चात्यीकरण।

(IV) कुपोषण का चक्र शुरू हो गया है जिसमे

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

महिलाओ से बच्चों मे कुपोषण जा रहा है

(v) पोषण कार्यक्रम कार्यान्वन मे बाधाएँ

Integrated child development Scheme, इत्यादि योजनाओं को लागु करने मे आँगनबाड़ियो की अक्षमता।

(vi) पोषण के प्रति जनता में जागरूकता का अभाव है।

(vii) Nutri food निर्धनता के कारण खरीदने में संभव नहीं है।

समाधान

(i) जागरूकता तथा शिक्षा → महिला शिक्षित होती है, बच्चा कभी कुपोषित नहीं (UNICEF)

(ii) food fortification का उपयोग करना। Ex → Golden Rice – (Vit A)

(iii) food avaliabity to food affordablity नीतियाँ अपनाना।

(iv) कार्यक्रम के क्रियान्वन के लिए आँगनबाड़ी की क्षमता बढ़ाना तथा प्रोगामो मे error कम करने के लिए पुनिरक्षण करना चाहिए।

स्वस्थ जनसंख्या पूँजी के रूप मे कार्य करती है। कुपोषण को दूर करना चाहिए।

Q9. "ईरान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध जारी रहेंगे, भले ही इससे पश्चिम को असुविधा हो।" उपर्युक्त कथन के आलोक में, स्पष्ट कीजिए कि ईरान के साथ संबंध जारी रखना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

"India's close engagements with Iran would continue even if it may cause discomfort with the West." In the light of the above statement, explain why maintaining a relationship with Iran is significant for India. (Answer in 150 words) 10

ईरान के nuclear enrichment मे पश्चिम देशों ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए लेकिन भारत का ईरान के साथ संबंध काफी पुराने रहे है, जिसमे भारत ने Iran, U.S.A जैसे देशों से संबंधों में संतुलन स्थापित किया है।

भारत के लिए संबंध महत्वपूर्ण क्यों

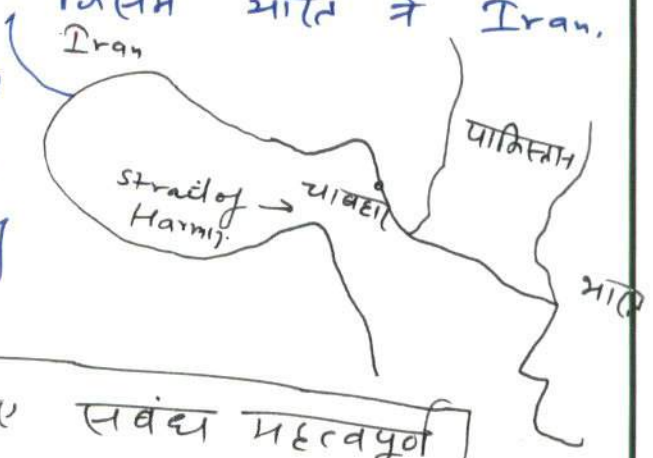

① भारत कच्चा तेल का आयात करता है अतः ऊर्जा सुरक्षा की प्रतिबद्धता के लिए ईरान के साथ संबंध महत्वपूर्ण है।

② Iran भारत के लिए मध्य एशिया तथा युरोप के लिए entry gate है, यहां चाबहार बंदरगाह अवस्थित तथा INSTC का भाग है।

(III) Strait of Hormuz के आस-पास समुद्री दस्युता के मामले काफी ज्यादा है, इनसे निपटने के लिए ईरान के साथ संबंध महत्वपूर्ण है।

(IV) भारत का Iran के साथ व्यापार काफी संतुलन में है, जिससे चीन जैसे देशों की तुलना में इसका महत्व अधिक है।

(IV) भारत का हिन्द महासागर में Net Security provider स्थापित करने में सहायक।

(V) Migrant worker की सुरक्षा।

(VI) चीन के उदय को संतुलित करने के लिए।

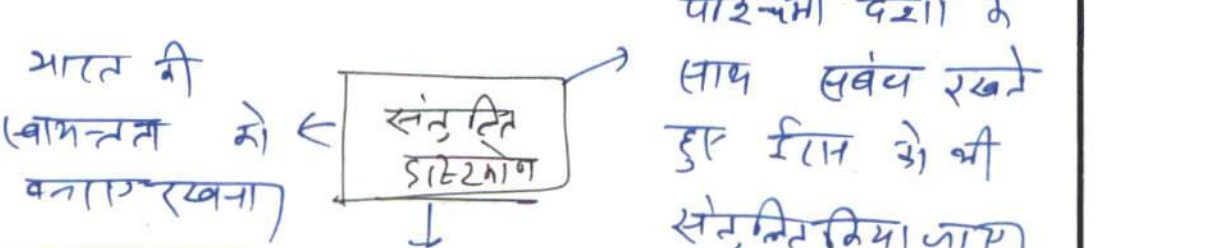

भारत को ईरान - पश्चिमी देशों के Dialogue & Diplomacy से संबंधों को आगे बढ़ना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q10. भारत और चीन के बीच सीमा तनाव को प्रभावी तरीके से कम करने में भारत-चीन सीमा शांति और स्थिरता समझौते (BPTA) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the role of the India-China Border Peace and Tranquility Agreement (BPTA) in effectively diffusing border tensions between India and China. (Answer in 150 words) 10

भारत तथा चीन एशिया की दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ है, इनके सीमा तनाव को कम करने के लिए BPTA (भारत-चीन सीमा शांति और स्थिरता समझौता) अपनाया गया है।

सीमा विवाद

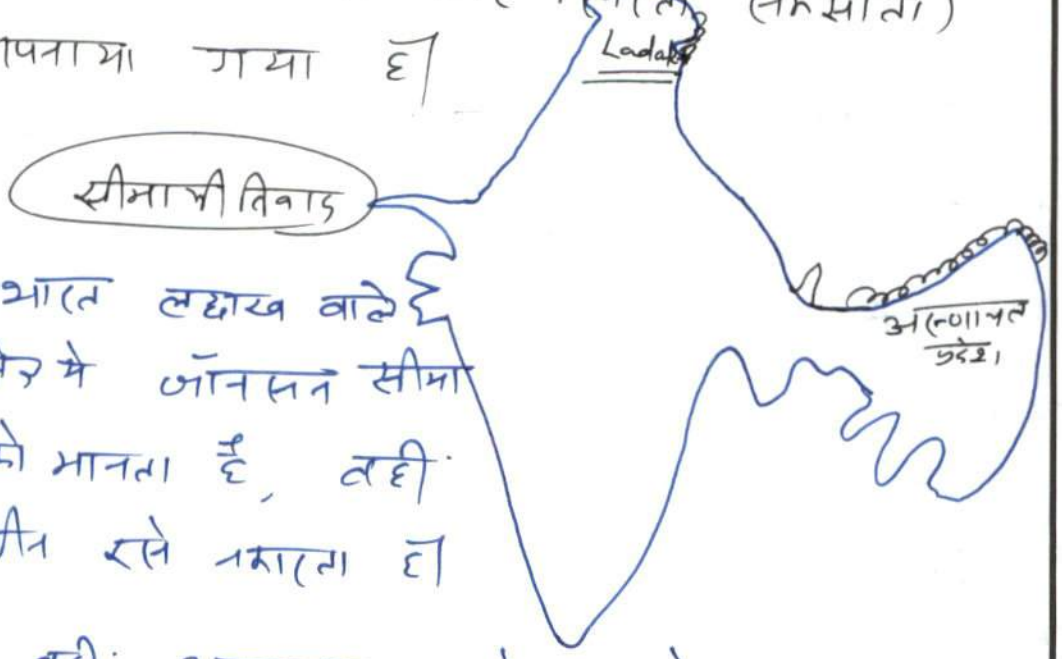

- भारत लद्दाख वाले क्षेत्र में जॉनसन सीमा को मानता है, वही चीन इसे नकारता है।

→ वही अरुणाचल प्रदेश में भारत अपना क्षेत्र तथा चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का भाग मानता है।

BPTA की भूमिका

① सैन्य सीमाओं का समाधान Dialogue तथा Diplomacy से किया जाना चाहिए।

(ii) सीमा विवादों के समाधान के लिए आयोग को बनाना चाहिए।

(iii) दोनों देशों को एक दूसरे की सम्प्रभुता, अखण्डता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(iv) देशों के बीच आपसी विश्वास का निर्माण किया जाना चाहिए।

(v) सीमा पर सैन्य उपयोग को कम से कम रखा जाना चाहिए।

(vi) सीमा ~~की~~ विवाद समाधान के लिए रूपरेखा बनानी चाहिए।

चीन द्वारा साम्यवादी सरकार से पहले संधियों को नकारना ← **BPTA की ~~भूमि~~ असफलता के कारण** — चीन की आक्रामक नीति।

→ लगातार बॉर्डर मे हस्तक्षेप करना

चीन तथा भारत दोनों देशों को सीमा विवाद का समाधान निकालना चाहिए और अपने-अपने हितों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।

Q11. आपकी राय में, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ निर्वाचन कराने से भारत में समग्र शासन को किस हद तक बढ़ावा मिल सकता है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent, in your opinion, can holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies augment overall governance in India? (Answer in 250 words) 15

हाल ही में श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में स्थापित समीति ने एक साथ चुनाव (Simultenous election) कराने की सिफारिश की। समय-समय पर चुनाव आयोग ने भी इसके प्रति सिफारिश की है।

Simultenous election के फायदे

(i) Model Code of Conduct के द्वारा नौकरशाही को कार्य करने के लिए कम समय मिलता है, उसे अत्यधिक समय मिलेगा।

(ii) चुनावो में वित्त के प्रयोग में कमी आएगी। चुनाव आयोग का बजट हो या पार्टी द्वारा बजट।

(₹ लगभग 1400₹/वोट - 2023 चुनाव)

(iii) चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा जिससे राष्ट्रीय हित निर्धारित होंगे।

(iv) चुनावी ड्यूटी मे लगें manpower को फ्री का उनके कार्यों से जोड़ा जाएगा। जैसे- Govt teacher

(v) लोकसभा तथा विधानसभा मे चुनाव तिथि निर्धारित होने से स्थिरता में वृद्धि हो सकती है।

(vi) Voter turnout Ratio में वृद्धि।

(vii) good governance का निर्माण होगा।

हालांकि कुछ समस्याएँ भी है।

(i) क्षेत्रीय मुद्दों की जगह मुख्य धारा की राजनीति से गायब हो सकती है।

(ii) क्षेत्रीय पार्टियो का भविष्य खतरे मे है।

(iii) राजनीतिक जागरूकता का लोगों मे अभाव है।

(iv) election machinary तथा अवसांचनागत सुविधाओं में कमी।

(v) 'अविश्वास प्रस्ताव' से सरकार

गिरा या मजबूत चुनी गई सरकार का इस्तीफा देने पर क्या होगा? यह निर्धारित नहीं है।

(VI) Election कमीशन के लिए काफी प्रैक्टिकल difficulties है।

(VII) Ruling party को फायदा हो सकता है।

क्या किया जाना चाहिए

① pilot project के रूप में लागू किया जा

② यह सफल रहे तो पूरे भारत में लागू कर सकते है।

③ इसके साथ ही Governance सुधार, Election funding सुधार, महिलाओं की भागीदारी को सुधारा जाना चाहिए।

④ राजनीतिक जागरूकता तथा political party Consensus के साथ इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

एक साथ चुनाव good governance का एक भाग है, इसे क्षेत्रीय पार्टियों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

Q12. भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए समय के साथ विकसित हुआ है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Indian Constitution is a living document that has evolved with time to reflect the changing needs and aspirations of the society. Comment. (Answer in 250 words) 15

भारत मे लिखित दस्तावेज के रूप मे संविधान विद्यमान है। समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार संविधान एक अत्यंत ज्वलंत तथा जीवंत दस्तावेज के रूप मे सामने आया है।

बदलती परिस्थितियाँ तथा आकांक्षाएँ

① पर्यावरणीय संवारणीयता तथा जलवायु परिवर्तन।
② सकारात्मक कारवाई में सुधार।
③ नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकार में संन्तुलन।
④ लैंगिक न्याय के लिए कार्य।
⑤ शासन मे सभी की भागीदारी।
⑥ विषमता को कम करना।

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संविधान का विकसित स्वरूप

① प्रथम संविधान संशोधन से सम्पत्ति के अधिकार का पुनितकरण किया।
9वी अनुसूची का निर्माण किया गया।

② 73वे। 74वे संविधान संशोधन से विकेंद्रीकरण को प्रारम्भ किया।

③ M.C. मेहता वाद मे जलवायु न्यायशास्त्र की स्थापना के अनुसार Article 21 को विस्तारित किया गया।

④ DPSP में विधिक न्याय, महिला श्रम सुधार, कुपोषण जैसी ~~प्रश्न~~ तथ्यों पर अनेक सुधार किए गए है।

⑤ महिलाओं के लिए नारी वेतन अधिनियम इत्यादि का प्रावधान किया गया है।

⑥ सकारात्मक कारवाई मे EWS के लिए 10% आरक्षण एक सुधारात्मक कदम है।

⑦ स्थिर राजनैतिक सरकार के लिए

Call us : 8468022022, 9019066066 Visit us : www.visionias.in

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

52 वे / 85 वे संविधान संशोधन किया गया।

(8) बढ़ते डिजिटलीकरण के दौर मे श्रेया सिंघल, अनुराधा भसीन मामले मे Intenet की स्वतंत्रता को Art 21 में शामिल किया गया, साथ ही निजता का अधिकार भी शामिल किया गया।

(9) बदलती परिस्थितियों के अनुसार 101 वे संविधान संशोधन से G.S.T लाकर tax Reform को आकार दिया गया।

(10) SC/ ST / OBC / women सुभेद्य वर्गो के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(11) शक्ति का पृथक्करण को स्थापित किया गया है।

संविधान का उद्देश्य हर परिस्थिति में खुद को तैयार करके समस्त लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास तथा राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना है, जिसमें संविधान सफल भी रहा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q13. भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में विद्यमान कमियां विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकारों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? इन कमियों को दूर करने के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

How do the deficiencies in the Indian criminal justice system impact the human rights of undertrial prisoners? What reforms are necessary to address these deficiencies? (Answer in 250 words) 15

प्रिजन सॉख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जेलों मे 77.3% कैदी विचाराधीन है। इन विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकार प्रभावित होते है-

(i) रहने की जगह नही-

भारत मे जेल पूरी क्षमता से अधिक कार्यरत है। जो लगभग 130.2% है
[prison statics Report]

(ii) जेलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कुशल इत्यादि सुविधाएँ न के बराबर मिलती है।

(iii) जैलों मे महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सिर्फ 13.2% है, जिससे महिला कैदियों के निजता का हनन होता है।

(iv) जमानत याचना दायर करने मे असमर्थता।

(V) हुसैनारा खातून vs बिहार मामले में स्पीडी ट्रायल कैदियों का मूल अधिकार है।

(VI) जेलों में सामाजिक स्तरीकरण अधिक है, लगभग 45% सिर्फ SC/ST कैदी है।

(VII) जेलों में शोषण के कारण मृत्यु हो जाती है लगभग 13000 कैदियों की मृत्यु 2022 में। (NCRB)

(VIII) free legal Servics के बारे में अज्ञान।

इन कमियों को सुधार करने के लिए आवश्यक सुधार

① न्यायिक सुधार

(1) fast track courts का निर्माण किया जाए (2) साथ ही tribunals में कार्यवाही की जाए। (3) कैदियों को free legal aid के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

(2) जेल नियमावली को अपनाया जाना

चाहिए।

(3) मुल्ला समीति के अनुसार

- All India prison service
- कैदियों को सजा समाप्त होने पर पुनर्वास
- प्रेस तथा पारदर्शिता समय-समय पर होनी चाहिए।

(4) जेल विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची मे ला सकते है।

(5) विचाराधीन कैदियों को कम से कम रखा जाना चाहिए।

(6) open jail system अपनाया जा सकता है
Ex- Raj मे

हाल ही मे किए गए सुधार:

- विचाराधीन कैदियों को skills प्रदान करना।
- FASTER एप → जमानत मे जल्दी रिहा
- E-जेल का क्रियान्वन
- fast track court का गठन
- जेलों का आधुनिकीकरण

न्यायिक सुधार को आगे बढ़ते हुए कैदियों को त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए, ना कि केवल मूलाधिकारों की रक्षा हो, मानवाधिकारो की रक्षा हो।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q14. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का प्रभावी तरीके से निर्वहन क्यों नहीं कर पाया है? इसे ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टिट्यूशंस (GANHRI) से मान्यता प्राप्त करने से रोकने के लिए कौन-से कारण उत्तरदायी हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Why has the National Human Rights Commission (NHRC) not been able to effectively carry out its role as the watchdog of human rights in India? What are the reasons that have prevented it from getting accreditation from the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)? (Answer in 250 words) 15

राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत NHRC एक सांविधिक संस्था है जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है।

NHRC के कार्य

- कैदियों या जेलों में मानवाधिकार की स्थापना।
- मानवाधिकार के लिए प्रक्रिया तथा कानूनों की समीक्षा करना
- विचाराधीन मामलों में मानवाधिकारों की जाँच करना
- स्वतः संज्ञान लेकर पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच।

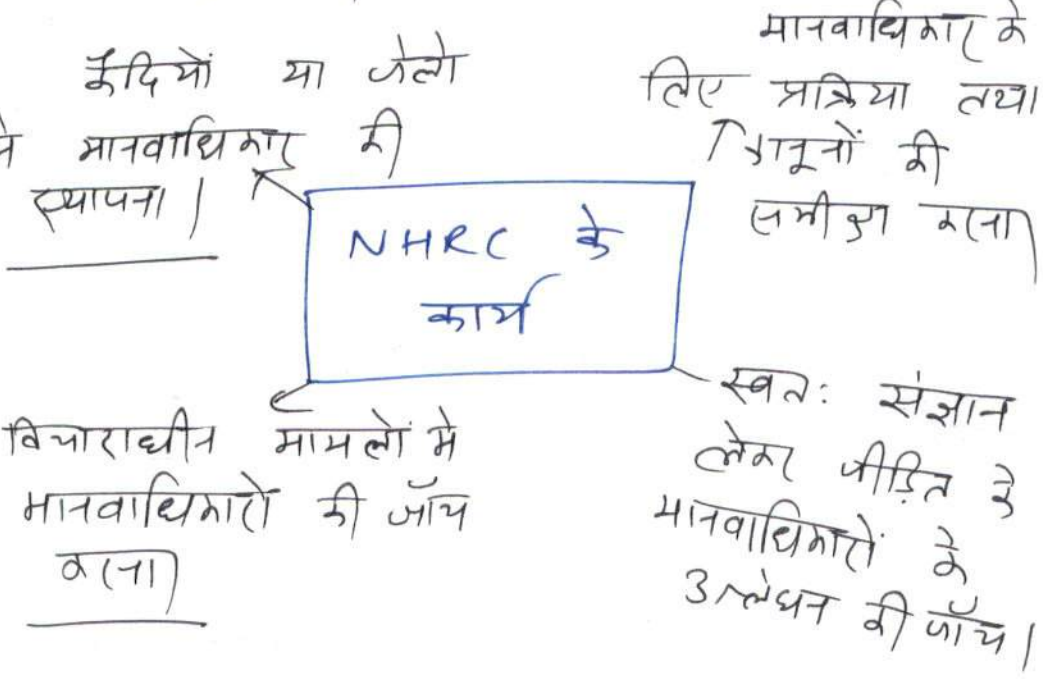

हालांकि मानवाधिकार के प्रहरी के रूप में NHRC अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है-

(1) खुद का Investigation या Research

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विभाग ना होना।

(ii) राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप से कई बार स्वतः संज्ञान में देरी कर दी जाती है

Ex – मणिपुर मामले में।

(iii) NHRC के पदों की नियुक्ति राजनीतिक प्रभाव से जुड़ी होती है।

(iv) NHRC मे पदों का खाली होना तथा अवसंरचना मे कमी भी एक मुख्य कारण है।

(v) नागरिक समाज के साथ सीमित भागीदारी दिखाई जाती है।

(vi) मानवाधिकारों की रिपोर्ट संसद में बाध्यकारी नहीं है।

GANHRI (ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्युमन राइट्स Institution) मान्यता लगातार दो साल से NHRC को नहीं मिली है-

(i) NHRC का पद राजनीतिक प्रभाव से युक्त है जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ii) NHRC के अंदर नागरिक समाज या जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है।

(iii) NHRC को स्वतः संज्ञान लेने मे देरी हो रही है।

(iv) कैदियो की मानवाधिकारों की रिपोर्ट राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नही है।

(v) NHRC मे पद खाली पडे है।

NHRC के सुधार

- स्टाफ नियुक्त तथा अवसंरचनागत सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- राजनीतिक हस्तक्षेप को मुक्त किया जाना चाहिए।
- रिपोर्ट को संसद के समक्ष सत्तारूढ दल की भूमिका की जांच की होनी चाहिए।

NHRC को सशक्त बनाकर मानवाधिकारों को सशक्त किया जाना चाहिए जो UNHRC के सिद्धान्तों के अनुरूप है।

Q15. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि और प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। अधिनियम के कार्यान्वयन में सामना की जाने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिए। इसकी प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ प्रस्तुत कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the background and key provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. List the implementation challenges that the Act faces. What measures can improve its effectiveness? Refer to Supreme Court judgments in this regard. (Answer in 250 words) 15

1997 में विशाखा दिशा-निर्देश आने के बाद कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की समस्या मुखर हुई, इसी का प्रभाव था POSH अधिनियम 2013.

POSH Act के प्रावधान

① कार्यस्थल की परिभाषा → सरकारी, निजी, स्पॉन्सर्ड इत्यादि कोई भी।

② आन्तरिक शिकायत समीति का गठन → 10 या अधिक महिलाएँ संगठन मे होने पर I.C.C. का निर्माण।

③ महिला की सुरक्षा, गोपनीयता इत्यादि का ध्यान रखा जाता है।

④ जाँच से पहले सुलह का प्रयास किया जाता है, मौद्रिक तरीके से मामले का

समाधान नहीं होना चाहिए। अंतरिम समाधान के लिए पुलिस के पास जाने का प्रावधान तथा विधिक सहायता से जुड़े प्रावधान।

(5) Internal Complaint Committee की संरचना का वर्णन।

कार्यान्वन में चुनौतियाँ

(1) S.C. ने विभिन्न मामलों पर कहा है कि विभिन्न संगठनों में आन्तरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया जाया है। जैसे- पहलवान दुर्व्यवहार मामले में।

(2) कार्यस्थल की परिभाषा में समस्या है। यह भी S.C. ने पहलवान दुर्व्यवहार मामले में कहा था।

(3) दोषसिद्धि दर काफी कम।

(4) महिलाओं की निजता का हनन तथा निजी संगठन महिलाओं को भर्ती नहीं करते।

(5) महिलाओं पर सुलह के लिए दबाव बनाया जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रभावशीलता को बेहतर बनाना

① आन्तरिक शिकायत समीति मे लैंगिक समावेशन बढ़ाना तथा नियोक्ता पर बाध्यकारी बनाना

② महिलाओं के अधिकारो से संबंधित जागरूकता मे वृद्धि।

③ fast track Court तथा अन्य न्यायिक सुधार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

④ महिला की निजता तथा विधिक-सामाजिक हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए।

⑤ I.C.C. मे स्वतंत्र बाह्य सदस्यों की नियुक्ति।

⑥ यौन शोषण के नए dimension जैसे- Body shaming को शामिल किया जाना चाहिए।

लैंगिक समावेशी शासन की स्थापना करके एक विकसित भारत का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे संधारणीय लक्ष्यों की भी पूर्ति हो सके।

Q16. राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों से संबद्ध पूर्वाग्रह और पक्षपात के मुद्दों को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें दी गई शक्तियां वापस ले ली जानी चाहिए? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

With issues of prejudice and partisanship associated with Speakers of State Legislative Assemblies, should the powers under the anti-defection law be taken away from their hands? (Answer in 250 words) 15

भारतीय संविधान के 52 वें संविधान संशोधन (1985) के माध्यम से 10वी अनुसूची को जोड़ गया जो दल-बदल कानून पर कार्य करती है।

इस कानून के तहत राज्य विधानसभा अध्यक्ष को दल-बदल से संबंधित निर्णय पर विवेकाधीन शक्तियाँ देता है जिससे यह विषय चर्चा में आता है।

पूर्वाग्रह तथा पक्षपात → राज्य विधानसभा का सत्तारूढ़ पार्टी से संबद्ध होना।

↓

सदस्यों को निलम्बित कर देना।

निर्णय के लिए समय-सीमा का अभाव।

पहले तो अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभव नहीं (अब कर सकते हैं)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अध्यक्ष को दी गई शक्तियाँ वापिस ले लेनी चाहिए ?

पक्ष मे तर्क

(i) सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मत का अधिकार सुरक्षित होगा।

(ii) अध्यक्ष के पास इस संबंध में ~~विशेषज्ञता~~ का अभाव।

(iii) अध्यक्ष का निर्णय पक्षपातीपूर्ण हो सकता है।

(iv) अध्यक्ष के निर्णय पर समय-सीमा का नियम नही है।

(v) दल-बदल को रोकने मे लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ है।

(vi) जनहित के ऊपर पार्टी हित रख सकते है।

विपक्ष में तर्क

(i) यह शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध है।

(ii) अध्यक्ष के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा संभव हो सकती है।

(iii) न्यायिक बोझ बढ़ सकता है पूर्व मे ही 5.7 Cr केस लम्बित है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

क्या किया जाना चाहिए?

(i) कीशम मेघचन्द्र वाद मे माननीय S.C ने कहा है कि अध्यक्ष के निर्णय पर समय-सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ii) अध्यक्ष के पद को ब्रिटेन के संविधान के अध्यक्ष पद की तरह किया जा सकता है।

(iii) या तो अध्यक्ष की विशेषज्ञता को बढ़ाया जाए या एक समीति नियुक्ति होनी चाहिए जिसमे विपक्ष का नेता व न्यायिक सदस्य हो।

(iv) जनहित को पार्टी हित से सर्वोपरि रखा जाए।

(v) राज्यपाल या राष्ट्रपति के नेतृत्व मे पूरक Alternative option देखा जा सकता है।

दल-बदल कानून मे सुधार करके राजनीतिक स्थिरता बनायी जानी चाहिए जिससे सामाजिक-आर्थिक विकास पर कार्य हो सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q17. हाल ही में, यू.जी.सी. ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसरों की स्थापना और संचालन के लिए विनियम जारी किए हैं। भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के प्रवेश को अनुमति देने के कारणों की विवेचना कीजिए। उनके सुचारू प्रवेश को सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Recently, the UGC released regulations for establishment and operation of campuses by foreign universities in India. Discuss the reasons for allowing the entry of Foreign Higher Educational Institutions (FHEIs) in India. What are the major obstacles in ensuring their smooth entry? (Answer in 250 words) 15

शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करती है। इसी के लिए N.E.P 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) को लागू किया है जो विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत मे परिसरों की स्थापना पर बल देती है।

FHEI को अनुमति देने के कारण

(i) FHEI की स्थापना से भारत मे कौशल क्षमता में वृद्धि होगी।
(India Skills Report → सिर्फ 45% graduates Employable)

(ii) FHEI के स्वरूप Research & developmt पर निवेश में वृद्धि होगी।

Ex - R&D expenditure → .7% of GDP of India

(iii) परिसर स्थापना से रोजगारोन्मुख शिक्षा मे वृद्धि होगी। साथ ही घरेलू

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

डिग्रियाँ ही निवेश प्रदान करेगी।

(iv) F.H.E.I शिक्षा मे नए-नए मेथड्स शिक्षण पद्धतियों में प्रयोग करेगी जो भारतीय विश्वविद्यालय भी प्रयोग मे लाएंगे।

(v) भारत का lower class/middle class विदेश जाने के बजाय भारत मे ही पढ़ाई कर पाएगा

(vi) विदेशी संस्था प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देगें।

FHEI को सुचारु प्रवेश मे बाधाएँ

(1) FHEI को UGC द्वारा फीस निर्धारण मे स्वायत्तता प्रदान की गई है जिससे भारी फीस के चलते सामाजिक स्तरीकरण हो सकता है।

(2) संसाधनों की कमी भी एक मुद्दा बन सकता है

Eg → W.F.N. अनुसार 2050 तक लगभग 30 शहर water stress से गुजरेंगे।

— शहरों मे अवसंरचना की कमी।

— भूमि अधिग्रहण मे समस्या।

③ सांस्कृतिक बहुलता में समायोजित करना काफी मुश्किल कार्य है।

④ FHEI विभिन्न प्रकार के संगठनों से प्राप्त धन पर निर्भर होते हैं। वित्तीय मदद न मिलने से समस्या हो सकती है।

⑤ FHEI में स्वायत्तता का अभाव है। जिससे स्थापित करने में समस्या आती है।

⑥ संस्थाओं में धार्मिक कट्टरवाद भी फैल रहा है।

क्या किया जाना चाहिए

① FHEI को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।

② सुभेद्य वर्गों को पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सहयोगी राशि प्रदान करनी चाहिए।

③ संसाधनों को उपलब्ध तथा प्रबंधन किया जाना चाहिए।

प्रायोगिक शिक्षा तथा R&D में विदेशी संस्थान भारतीय संस्थानों से काफी आगे हैं FHEI की स्थापना समग्र शिक्षा प्रणाली के लिए लाभदायक रहेगी।

Q18. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफल रहा है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent has the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) achieved its core objectives? (Answer in 250 words) 15

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण महिला श्रम भागीदारी लगभग 42% है जिनमें स्वनियोजित महिलाएँ अधिक है। महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मनरेगा योजना लागू की गई थी।

मनरेगा के उद्देश्य

(i) ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना।

(ii) ग्रामीण परिवारों का आय सशक्तिकरण।

(iii) महिलाओं की सामाजिक भूमिका को और मजबूत करना।

(iv) ग्रामीण परिवारों मे सार्वभौमिक सुरक्षा कीतर्ज पर 100 दिन का रोजगार उपलब्धकराना

(v) ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण।

(VI) शहरी प्रवास को रोकना।

मनरेगा अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना सफल?

* मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है जिससे ग्रामीण परिवारों का सशक्तिकरण हुआ है।
* मनरेगा (Job Card से कई सामाजिक-आर्थिक लाभ की योजनाओं का फायदा मिला है।
* 100 दिनों की मजदूरी को COVID-19 के समय 150, 200 दिन भी किया गया है।
* महिला परिवारों को स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के 12000 ₹ भी दिए है।
* मनरेगा में 'Social audit' चलाया गया है जिससे कार्यकारी दक्षता में वृद्धि हुई है।
* महिलाओं की पारम्परिक सामाजिक मानदण्ड में भूमिका मजबूत हुई है।

हालांकि कई कारणों से यह योजना असफल रही।

(1) भ्रष्टाचार के कारण वेतन में कमी का दी गई।

(2) पंचायत द्वारा पर Job Card में 100 दिन का कार्य उपलब्ध नहीं करवाया गया।

(3) कार्य को मशीनीकृत करके Job Card पर पैसा सरपंच तथा VDO की मदद से भ्रष्टाचार।

(4) अकुशल श्रमिक से कुशल श्रमिक भी भागीदारी कर रही है।

समाधान

- मनरेगा में 100 दिन का काम न उपलब्ध करवाने पर भत्ता प्रदान करना चाहिए।
- वेतन में कमी को पारदर्शीपूर्वक समाधान किया जाना चाहिए।
- अकुशल महिला तथा पुरुषों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- Social audit के प्रति मजदूरों में जागरूकता लायी जानी चाहिए।

मनरेगा में व्याप्त खामियों को दूर करते हुए ग्रामीण भारत में यह रोजगार प्रदान कर रही है। इसकी दक्षता को बढ़ाया जाना चाहिए।

Q19. "बदलती हुई भू-राजनीतिक परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी की सामरिक अवस्थिति को हिंद-प्रशांत की व्यापक अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं।" उपर्युक्त कथन के आलोक में, क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने में बिम्सटेक (BIMSTEC) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

"Changing geopolitical realities make the strategic location of the Bay of Bengal crucial to the wider concept of the Indo-Pacific." In the light of the above statement, discuss the role of the BIMSTEC in enhancing regional cooperation and promoting stability. (Answer in 250 words) 15

BIMSTEC की स्थापना 1997 मे की गई थी, जिसका उद्देश्य वैश्वीकरण के दौर मे क्षेत्रीय सहयोग तथा क्षेत्रीय स्थिरता निर्धारण करना है।

बदलती भू-राजनीतिक व्यवस्था।

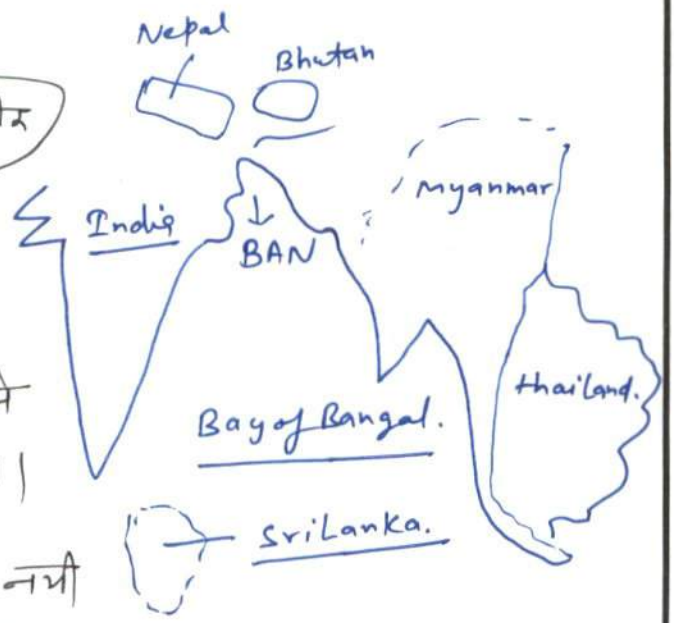

1. चीन का उदय
2. अफगानिस्तान मे तालिबानी शासन।
3. चीन, रूस, U.S.A नयी शक्तियों का उदय
4. रूस-युक्रेन तथा ईजरायल-फिलीस्तीन युद्ध।

BIMSTEC: क्षेत्रीय सहयोग

1. BIMSTEC देशों के मध्य people to people connectivity को बढ़ाना।

(ii) सांस्कृतिक इतिहास के साथ जुड़ाव। कई देश बौद्ध धर्म से, नेपाल हिन्दू धर्म से।

(iii) BIMSTEC देशों के मध्य free trade Agreement को आगे बढ़ाना

(iv) BIMSTEC का सचिवालय स्थापित करके सहयोग बढ़ाना।

(v) हिन्द प्रशांत क्षेत्र के लिए मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों पर कार्य करना।

(vi) Humanitrain Assistance प्रोग्राम कार्यक्रम को आगे बढ़ाना।

(vii) मानवाधिकारों की सुरक्षा।

BIMSTEC: आगामी दिशा

(1) समुद्री दस्युता के मामले को संबोधित करना।

(2) आपदा प्रबंधन जैसे - चक्रवात को प्रबंधित करना।

(3) पर्यावरणीय सुरक्षा तथा तटीय पर्यावरण को मजबूत करना।

(4) चीन की आक्रामक नीति को संतुलित करना।

(5) हिन्द महासागर मे भारत Net Security provider के रूप मे मार्ग।

(6) defence कूटनीति को आगे बढ़ाना।

(7) आतंकवाद से निपटना तथा धार्मिक कट्टरतावादी तथा अलगाववादी निपटान मे सहयोग करना।

BIMSTEC के सामने चुनौतियाँ →
- चीन का प्रभुत्व
- देशों मे अस्थिर सरकार
- मुक्त व्यापार समझौता नही
- वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नही।

BIMSTEC एशिया - प्रशान्त से हिन्द प्रशान्त की ओर भू-राजनीतिक तरीके से भारत को मजबूत करता है।

2364
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q20. विवेचना कीजिए कि भारत की विस्तारित रक्षा कूटनीति किस प्रकार पड़ोस में इसके प्रभाव को सुदृढ़ करती है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss how India's expanding defence diplomacy strengthens its influence in the neighbourhood. (Answer in 250 words) 15

रक्षा कूटनीति का अर्थ है रक्षा उपकरणों तथा इनसे जुड़े उद्योगों को कूटनीति का आधार बनाना। सामान्य अर्थों मे यह भी कहा जा सकता है उपकरणों का आयात निर्यात बढ़ाना।

कूटनीति का विस्तार

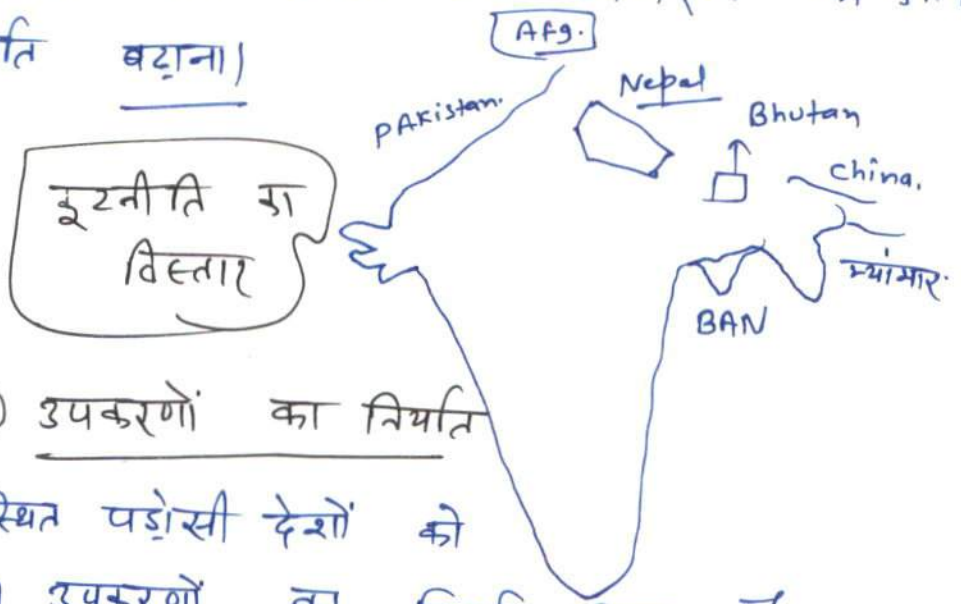

① उपकरणों का निर्यात

उपस्थित पड़ोसी देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है।

Ex - ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को।

② हिन्द महासागर मे Net Security provider के रूप में स्थापित किया है।

③ विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ~~सैनिक~~ सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है।

Ex- सूर्यकिरण - Nepal
मैत्री - बांग्लादेश।

(4) भारत समुद्री सुरक्षा के लिए श्रीलंका तथा मालदीव को तटीय रडार की आपूर्ति करता है।

(5) विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ सैन्य Logistic Agreement को बढ़ावा दिया है।

(6) विभिन्न बहुपक्षीय संधियों मे सैन्य आधुनिकीकरण का प्रयास करके पड़ोसी देशो से स्वीकृत किया है

Ex- BIMSTEC में।

(7) सैन्य/रक्षा उपकरण निर्यात के लिए licencing प्रक्रिया में सुधार।

रक्षा कूटनीति से पड़ोस के देशों मे सुदृढ़ स्थिति

(i) सुरक्षा तथा स्थिरता में वृद्धि।

(ii) हिन्द महासागर मे अपनी स्थिति को मजबूत करना।

(iii) चीन के प्रभाव क्षेत्र अपनी स्थिति को

मजबूत करना।

(iv) मुक्त तथा समावेशी आकाश तथा समुद्री मार्ग को बढ़ावा।

(v) देशों के साथ रक्षा कूटनीति से विश्वास में वृद्धि तथा तनाव को कम करना।

(vi) देशों के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ाना।

(vii) रक्षा निर्यात से FDI को बढ़ावा तथा आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करना।

(viii) पड़ोसी देशों में स्थिर विकास तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा।

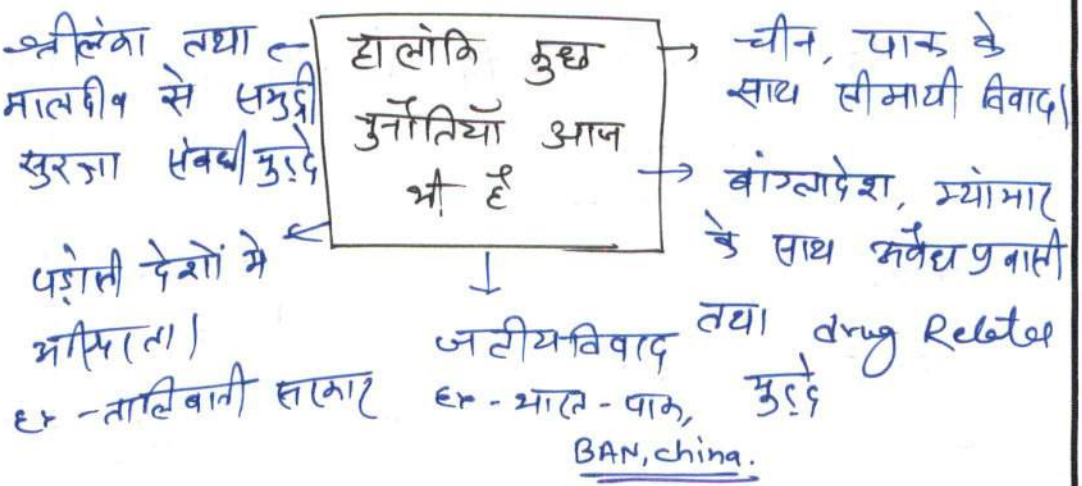

रक्षा कूटनीति को आगे बढ़ाने तथा इसके माध्यम से मालदीव सहायता, रक्षा निर्यात, विकासशील संबंधों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।